फैक्स/ महत्वपूर्ण
संख्या-1172 /6-पु-1-10-अ-600(41)/07

[redacted],

कुँवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 9 अप्रैल , 2010

विषयः पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश, रविवार व द्वितीय शनिवार का उपभोग न कर पाने के एवज में वर्ष में मानदेय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-913/6-पु-1-2009-अ-600(41)/07, दिनांक 23.3.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील संख्या-1926-1928/2004- उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रेम प्रकाश मिश्रा व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 23.3.2009 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस के समस्त लिपिक वर्गीय कर्मियों, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक, जिनके कार्यालय माह के द्वितीय शनिवार, रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाश में सामान्यतया खुले रहते हैं, को उनकी कठिन सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय शर्तों के अधीन दिनांक 23.9.1991 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानेदय दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों का भूतलक्षी प्रभाव से कियान्वयन कराया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है तथा वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक ही इकाई/ संगठन में अधिकतर लिपिक वर्गीय कर्मियों/ उप निरीक्षकों एवं निरीक्षकों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उक्त सुविधा पूर्व से प्राप्त हो रही हैं जबकि दूसरी ओर समान कर्मी को शासनादेश दिनांक 23.3.09 की शर्तों से आच्छादित न होने के कारण उक्त सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हो रही हैं।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा के0के0 मिश्रा(सुप्रा0) के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.9.1991 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेम प्रकाश मिश्रा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 17.1.2007 का सम्यक रूप से पुनः परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि के0के0 मिश्रा के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अभिसूचना विभाग में तैनात लिपिक वर्गीय कर्मियों की अभिसूचना विभाग में तैनात कार्यकारी बल से समानता अवधारित करते हुए याचीगण को अभिसूचना विभाग के कार्यकारी बल को अनुमन्य लाभ दिये जाने के आदेश दिये गये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रेम प्रकाश मिश्रा के प्रकरण में के0के0मिश्रा(सुप्रा) में अवधारित सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए पुलिस विभाग के समस्त लिपिक वर्गीय कर्मियों को उनके कार्यकारी बल की भाँति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने का आदेश दिया गया हैं।

3- माo उच्च /उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की विधिक बाध्यता को दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 23.3.2009 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों को शिथिल करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 पुलिस संगठन में नियुक्त समस्त लिपिक वर्गीय कर्मियों, उप निरीक्षकों एवं निरीक्षकों को दिनांक 23.9.1991 से वित्तीय वर्ष 2009-2010 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय का भुगतान किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि भुगतान के पूर्व नियंत्रक अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बंधित अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उक्त सुविधा का दोहरा भुगतान न होने पाये ।

4- मा0 उच्च/ उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-7793/आठ-1-3/1979, दिनांक /.12.1979 एवं 2322/आठ-1-3/1979, दिनांक 16.5.1980 को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह भी निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पुलिस संगठन के समस्त कान्सटेबिल, हेड कान्सटेबिल (विशेष श्रेणी), हेड कान्सटेबिल, उप निरीक्षक (विशेष श्रेणी), जनपदीय शाखा (जी0आर0पी0 सहित) नागरिक व सशस्त्र पुलिस एवं विभिन्न अजनपदीय शाखा के उप निरीक्षक (विशेष श्रेणी), उप निरीक्षक तथा निरीक्षकों, अग्निशमन शाखा एव पी0ए0सी0 में नियुक्त समकक्षीय पदधारकों, पुलिस रेडियो शाखा में नियुक्त आपरेटर, हेड आपरेटर, रेडियो इन्सपेक्टर, रेडियो मेन्टिनेंस आफिसर, रेडियो स्टेशन आफिसर, अभिसूचना विभाग के शैडो काडर, एल0आई0यू0, स्पेशल ब्रांच की फील्ड इकाईयों तथा प्रोजेक्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ में कार्यरत उप निरीक्षकों एवं निरीक्षकों एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में नियुक्त उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश लागू होने की तिथि से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की सुविधा का भुगतान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा अपने नियंत्रणाधीन उक्त सभी अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों को उक्त सुविधा का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने अथवा शासकीय कार्यहित में कार्यालय माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों में सामान्य कार्यदिवस की भांति साधारणतया खुले रहते हैं और वहाँ पर कार्यरत संबंधित अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उक्त अवकाश दिवसों में कार्यालय आकर सामान्य कार्य दिवस की भाँति अपने शासकीय कार्यो को निष्पादित किया जाता रहा हैं।

(2) अजनपदीय शाखाओं/ इकाईयों एवं फील्ड में तैनात उक्त अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा उक्त सुविधा के भुगतान हेतु इस आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि उनके नियंत्रणाधीन उक्त अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा उक्त अवकाश दिवसों में कार्यालय में आकर कार्य नहीं किया गया है, किंतु संबंधित अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने क्षेत्र (फील्ड) में जाकर माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों में प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने अथवा मुकदमों की विवेचना/ जाँच व अन्वेषण का कार्य निष्पादित किया जाता रहा हैं।

(3) संबंधित उक्त अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने नियंत्रक अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष को संबंधित वित्तीय वर्ष में माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य

राजपत्रित अवकाशों में साधारणतया कार्यालय आकर सामान्य कार्यदिवस की भांति कार्यों को निष्पादित किये जाने की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में फरवरी माह में दी जायेगी तथा संबंधित नियंत्रक अधिकारी/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह पुष्टि की जायेगी कि उक्त संबंधित अराजपत्रित अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा माह के द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों में साधारणतया कार्यालय आकर सामान्य कार्यदिवस की भांति कार्यों को निष्पादित किया गया है।

5- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-6700/1986-के0के0 मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.9.1991 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1926-1928/2004-उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम प्रेम प्रकाश मिश्रा व अन्य में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 17.01.2007 के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-913/6-पु-1-2009-ग-600(41)/07, दिनांक 23.3.2009 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए उ0प्र0 पुलिस संगठन में नियुक्त समस्त लिपिक वर्गीय कर्मियों को उनके कार्यकारी बल की भांति उपरोक्त प्रस्तर 4 की शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से आगामी वित्तीय वर्ष से एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6- उपरोक्त सुविधा उन्हीं अराजपत्रित अधिकारियों /कर्मचारियों को देय होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली होगी एवं वर्ष में मानदेय का आगणन एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक के मूल वेतन (पे बैण्ड + पे ग्रेड) + महंगाई भत्ता) के औसत पर किया जायेगा और जो अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तिथि 01 अप्रैल एवं अंतिम माह मार्च की 01 तारीख को सेवारत है, उन्हें 12 माह की सेवा के आधार पर माह मार्च में भुगतान किया जायेगा। वर्ष के मध्य सेवानुवृत्त/ सेवानिवृत्त होने वाले अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को समानुपातिक दरों पर यह सुविधा देय होगी। इस प्रकार जो कर्मचारी वर्ष के दौरान किसी समय सेवा आरंभ करता है, तो उसके भी यह भुगतान सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए समानुपाति दर पर किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-12- 927 / दस-2010, दिनांक 09.4.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या -1172 (1)/6-पु-1-2010-तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम,आडिट प्रथम,इलाहाबाद।
2- अपर पुलिस महानिदेशक,(स्थापना)/अभिसूचना/दूरसंचार उ0प्र0,लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा,अपराध अनुसंधान विभाग/ आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन / फायर सर्विस/ पी0ए0सी0,/राजकीय रेलवे पुलिस/ प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेंज/ पुलिस उप महानिरीक्षक।
5- पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0